



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या-

H ०४९९८

/C-4/ NGT-156/2023

दिनांक— ।।-०२-२०२३

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub:- Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 728 of 2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 23.11.2022.

Sir,

The Hon'ble NGT passed the order dated 23-11-2022 in the matter of O.A. No. 728/2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of order is as given below:-

- “.....6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
7. In case the Joint Committee observes any violation of environmental laws/ norms, then it shall forward a copy of its report to:-
- (i) the concerned persons to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF;
- (ii) the concerned Statutory Authorities including the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned persons and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
8. List for further consideration on 16.02.2023.”

Please find herewith the Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in compliance of the above directions of Hon'ble National Green Tribunal.

Yours Sincerely,

Atulesh Yadav
(Atulesh Yadav)
Incharge, Circle-4

**Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 728 of
2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. as per order of Hon'ble
National Green Tribunal dated 23.11.2022**

In the O.A No. 728 of 2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass an order dated 23.11.2022, the operative part of which is quoted below:-

".....6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. In case the Joint Committee observes any violation of environmental laws/ norms, then it shall forward a copy of its report to:-

(i) the concerned persons to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/ recommendations contained in the same within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF; and

(ii) the concerned Statutory Authorities including the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned persons and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 16.02.2023.

9. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the CPCB, the UPSPCB and the District Magistrate, Hathras by e-mail for compliance."

An 'Ary

In compliance of the direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal on 23.11.2022, Joint Committee comprising of Officials from District Administration Hathras, Central Pollution Control Board Agra and Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh inspected the 09 Cold Storages mentioned in the application on 18.01.2023. The Joint Committee report is enclosed as **Annexure-I**.

- 2- The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh has issued Show Cause Notices Dated 25-01-2023 to the concerned cold storages mentioning the shortcomings observed during joint inspection. The copy of the Notices are enclosed as **Annexure-II**.
- 3- On the basis of joint inspection report U.P. Pollution Control Board has imposed total Environmental Compensation of Rs. Rs. 8,75,000/- against 07 Cold Storages. Detail is enclosed as **Annexure-III**.
- 4- During the joint inspection 01 cold storage M/s S.B.L. Cold Storage Pvt. Ltd., Jalesar Road, Sahpau, Tehsil-Sadabad, District-Hathras was found operational without valid Consent To Operate (CTO). U.P. Pollution Control Board has issued Closure Order U/s-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended to the cold storage with Show Cause for imposing of Environmental Compensation. The copy of the letter is enclosed as **Annexure-IV**.
- 5- During the joint inspection 01 cold storage M/s Jain Cold Storage Pvt. Ltd., Village-Baideyi, Tehsil-Sadabad, District-Hathras was found non-operational. U.P. Pollution Control Board has issued Direction U/s-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended to the cold storage for operating the cold storage only after obtaining Consent To Operate (Air/Water). The copy of the letter is enclosed as **Annexure-V**.
- 6- As far as Joint Committee recommendation for Disaster Management Plant is concerned, the plan is approved by Department of Factories, U.P. and concerned Department may be directed to ensure compliance.

With reference to the Hon'ble NGT order dated 23-11-2022, the aforesaid Action Taken Report is being hereby filed.

AK
11/02/23
Environmental Engineer (C-4)
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

Atul Singh Yadav
Incharge (C-4) 11/02/23
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

The Joint Committee report in the matter of O.A. No. 728/2022 Narayan Sharma vs.State of Uttar Pradesh & Ors.dated 23.11.2022 passed by Hon'ble NGT.

The Hon'ble NGT has passed an order dated 23.11.2022 in 728/2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. The operative portion of order is as under:-

-----6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-[judget-\[gov.in\]\(mailto:judicial-ngt@gov.in\)](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

-----7. In case the Joint Committee observes any violation of environmental laws/ norms, then it shall forward a copy of its report to:- (i) the concerned persons to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same within one month from the date of receipt of a copy of the report O.A No. 728/2022 Narayan Sharma vs. State of Uttar Pradesh -4- of the Joint Committee by e-mail at [judicial-\[gov.in\]\(mailto:judicial-ngt@gov.in\)](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF; and (ii) the concerned Statutory Authorities including the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned persons and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by email at [judicial-\[gov.in\]\(mailto:judicial-ngt@gov.in\)](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

-----8. List for further consideration on 16.02.2023.

-----9. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the CPCB, the UPSPCB and the District Magistrate, Hathras by e-mail for compliance.

Hon'ble NGT vide order dated 23.11.2022 has constituted the joint committee comprising of the following departments-

- i. Central Pollution Control Board.
- ii. State Pollution Control Board (as Nodal Agency)
- iii. District Magistrate, Hathras.

In order to comply with the referenced order of Hon'ble NGT, District Magistrate, Hathras has nominated SDM, Sadabad, Hathras vide letter no-2316/OA-728/2022 dated 21.12.2022, CPCB has nominated Shri Kamal Kumar, Scientist "D" & Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh from UPPCB. In the Joint Committee following members are as follows:

Members

1. SDM, Sadabad, Distt. Hathras
2. Shri Kamal Kumar, Scientist "D", Central Pollution Control Board, Agra
3. Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh

Letter of the district magistrate vide letter no-2316/OA-728/2022 dated 21.12.2022 is enclosed as **Annexure -I**

In compliance of the Hon'ble NGT order dated 23.11.2022 passed in matter of O.A. 728/2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. letter of the District Magistrate, Hathras vide letter no-2316/OA-728/2022 dated 21.12.2022 has been sent to the concerning Department: - District Horticulture Department, Hathras, Assistant Director Industries, Aligarh, Fire Department, Hathras for Obtaining their related information's. Two departments i.e. DHO, Hathras & Fire Department, Hathras have sent their related information's. Information given by Two Department is enclosed as **Annexure -II**

Joint Committee has inspected 09 Cold Storage which are mentioned in the NGT Order passed in O.A. No.-728/2022 Narayan Sharma Vs State of Uttar Pradesh & Ors. on dt. 23.11.2022 in the presence of cold storage representative. Field visit observations, status of the cold storage and information of the received from other departments has been compiled & enclosed as **Annexure -III**.

82

5

Amrit 27/1/23

2

OBSERVATIONS:-


During visit following observations are found:-

1. M/s Jain Sheetgrah Pvt. Ltd. Bedai, Tehsil Sadabad, District Hathras was not in operational condition & found closed.
2. It was observed that all eight cold storages facilities/ units were found in operational conditions.
3. All 08 cold storages were found empty during the visit.
4. No waste potatoes were dumped inside the cold storage or outside of the 08 cold storages.
5. No smell was found in and around these cold storages during the visit.
6. As per informed by the representative of cold storage during the visit, wastage potatoes sent to nearby gaushalas, however, no record was given during the visit.
7. All 8 cold storage have installed an ammonia gas receiver tanks connected along with pipe line & equipment. However, no safety measures/facilities like Safety mask/safety shoes/safety hamlet/safety glass etc. not found during the visit. Only one cold storage M/s Bisawar Sheetgrah Pvt. Ltd. Village & Post-Bisawar, Tehsil-Sadabad, District-Hathras has submitted a disaster management plan to the board & rest 07 cold storage has not submitted onsite disaster management plan.
8. For safety purposes all 8 cold storages have installed water sprinkler systems for any disaster leakage of ammonia.
9. All 08 cold storages have installed D.G. Set with canopy for power backup, but no facilities of gas-based LPG generators found during the visit. No exhaust height of stack of the D.G. Set found as per norms during the visit.
10. No rain water harvesting system was found in all concerning cold storage & no NOC of the ground water authorities for extraction ground water.
11. All 08 cold storages have permission from Fire & Safety Dept. of Hathras & DHO, Hathras.
12. Uttar Pradesh Pollution Control Board has issued the notices on dated 19.12.2022 to all 09 cold storage regarding in this matter. Only one cold storage has replied against the notices and rest 08 cold storages not submitted their reply to the notices issued by this office on dt. 19.12.2022. List of the notice dt. 19.12.2022 is enclosed as Annexure- IV.


Show cause notices vide letter dt. 25.01.2023 has been issued to all 09 cold storage for the compliance of the recommendations. Copy of the Show cause notices enclosed herewith as **Annexure-V**.

RECOMMENDATIONS:-


1. Cold storages should not operate without a disaster management plan of ammonia gas leakage. For this purpose all the 07 cold storages have been notified by UPPCB to submit immediately a disaster management plan.
2. During operation of cold storage, they should ensure that no waste potatoes should be dumped in and around the cold storages or any open land.
3. All cold storage should have tie-up with nearby gaushalas for giving wastes potatoes and proper record should be maintained or ensure dispose off waste potatoes with scientific manner.
4. Proper logbooks record for operational hours of generator sets, any disaster leakage accident, operational conditions & testing of water sprinkler system should be maintained.
5. Safety instructions to workers and nearby contact numbers, in any disaster condition, must be displayed properly.
6. Proper safety training should be given to the workers.
7. All cold storages must adopt rain water harvesting system & D.G. sets should be operated on gas-based fuel during the failure of power supply.
8. All cold storage shall have the NOC/Registration from the ground water authority and Fire & Safety dept.
9. Height of the exhaust pipe/stack should be as per norms.
10. All cold storage must have safety measures/facilities like Safety mask/safety shoes/safety helmet/safety glass etc.


(Ajay Kumar)

Asstt. Env. Engineer
UPPCB, Aligarh


(J.P. Singh)

Regional officer (Incharge)
UPPCB, Aligarh


(Kamal Kumar)

Scientist-D
CPCB, Agra



S.D.M.
Tahsil-Sadabad,
Distt. Hathras

कार्यालय आदेश

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० रख्या-७२८/२०२२ नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में दिनांक २३.११.२०२२ को आदेश पारित किया गया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं—

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh, through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) the Central Pollution Control Board (CPCB), (3) Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) (4) the District Magistrate, Hathras (5) HRT Cold Storage, Vill. Govindpur, Tehsil Sadabad, (6) Bisabar Sheetgreh Pvt. Ltd., Vill. Bisabar, Tehsil Sadabad, (7) RPM Sheetgreh Pvt. Ltd., Vill. Rohai, Tehsil Hathras, (8) Shri Radhe Radhe Cold Storage, Vill. Kanjauli Govindpur, Tehsil Sadabad, (9) OAS Cold Storage, Vill. Chiravali, Tehsil Sadabad, (10) M/s. Pitambara Cold Storage, Vill. Sehpau, Tehsil Sadabad, (11) SBL Cold Storage Pvt. Ltd., Prakash Nagar, Jalesar Road, Tehsil Sadabad, (12) SDNK Ice & Cold Storage, Tehsil Sadabad, (13) Jain Sheetgreh Pvt. Ltd., Vill. Vedai, Tehsil Sadabad, who stand impleaded as respondents No. 1 to 13. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 13 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. Notices be served on respondents no. 05 to 13 through the District Magistrate, Hathras and for this purpose notices issued to the respondents no. 05 to 13 be sent to the District Magistrate, Hathras by email for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेज उद्योगों की जॉच किये जाने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त परियोजना कार्यालय, आगरा के पत्र दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से श्री कमल कुमार, वैज्ञानिक 'घ' को नामित किया गया है। उक्त समिति में जिला प्रशासन, हाथरस की तरफ से उपजिलाधिकारी, सादाबाद, को नामित किया जाता है।

अतः निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है-

1. उप जिलाधिकारी, सादाबाद, जनपद हाथरस।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. श्री कमल कुमार, वैज्ञानिक 'घ' परियोजना, कार्यालय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, आगरा।

गठित समिति से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेज उद्योगों की जॉच आख्या निर्धारित समयान्तर्गत मा० एन०जी०टी० द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आई०डी० judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अद्वितीय वर्ष)
जिलाधिकारी, हाथरस।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. उप जिलाधिकारी, सादाबाद, जनपद हाथरस।
3. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परियोजना कार्यालय, (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार), धौलपुर हाउस, एम.जी. रोड, आगरा-282001
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
5. जिला उद्यान अधिकारी, हाथरस को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना वर्ष, उत्पादन क्षमता एवं लाईसेन्स सम्बन्धित सूचना तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. सहायक निदेशक, कारखाना, हाथरस को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेज से सम्बन्धित सूचना तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हाथरस को इस निर्देश के साथ कि सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेज को प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित सूचना तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी, हाथरस।

संलग्नक-II
पत्र संख्या २४१२८
पंजाब राज्य सरकार

कार्यालय मुख्य अग्निशमन

पत्र संख्या: सीएफओ-हा०/विविध-2022 / ५२।

अधिकारी हाथरस

दिनांक: दिसम्बर, २८, 2022

सेवा में,

✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

विषय: कोल्ड स्टोरेज को प्राप्त अनापत्ति प्रमाण की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला अधिकारी, हाथरस महोदय के पत्र संख्या: 2316/OA-728/2022 दिनांक: 21.12.2022 के कम में सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेजों के स्वामी/प्रबन्धकों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना तैयार कर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के कम में सन्दर्भित कोल्ड स्टोरेजों के स्वामी/प्रबन्धकों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना निम्नवत् है-

क्रमांक	कोल्ड स्टोरेज का नाम	निर्गत अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र
१	एच०आर०टी० कोल्ड स्टोरेज, गोविन्दपुर, तहसील सादाबाद, हाथरस	फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
२	बिसावर शीतगृह प्रा०लि०, बिसावर, तहसील सादाबाद, हाथरस	प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
३	आर०पी०एम० शीतगृह प्रा०लि०, रोहई, तहसील हाथरस	फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
४	श्री राधे राधे कोल्ड स्टोरेज, कन्जौली, गोविन्दपुर तहसील सादाबाद, हाथरस	फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
५	ओ०एस० कोल्ड स्टोरेज, चिरावली, तहसील सादाबाद, हाथरस	फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
६	पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, सहपऊ, तहसील सादाबाद, हाथरस	प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
७	एस०बी०एल० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, प्रकाशनगर, जलेसर रोड, तहसील सादाबाद, हाथरस	फाइनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
८	एस०डी०एन०क० आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, तहसील सादाबाद, हाथरस	प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र
९	जैन शीतगृह प्रा०लि०, वेदई, तहसील सादाबाद, हाथरस	प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र

अतः आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

हाथरस

प्रतिलिपि:

- जिलाधिकारी, हाथरस महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रेषक,

जिला उद्यान अधिकारी
हाथरस

१६
०२/०१/२३

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़।

पत्रांक:- १०५०-५१ / को०/ स०/ २०२२-२३ / दिनांक-२१-१२-२२

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-२३१६/ओ०एन०-७२८/२०२२ दिनांक-२१.१२.२०२२ के कम में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली श्री नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० के कम में निर्धारित रूप पत्र पर आपके द्वारा चाही गयी सूचना आपकी सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसा।

महोदय

जिला उद्यान अधिकारी
हाथरस

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पत्रांक-२३१६/ओ०एन०-७२८/२०२२ दिनांक-२१.१२.२०२२ के कम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
- पटल प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि पत्र को पत्रावली में संरक्षित करें।

जिला उद्यान अधिकारी
हाथरस

१०५०-५१/२०२३
०३/०१/२३

१०५०-५१/२०२३
०३/०१/२३

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नं० दिल्ली में रायर ओ०४० संख्या-७२८ / २०२२ नारायन शर्मा वनाम उ०५० सरकार व अन्य में पारित

दिनांक-२३.११.२०२२ में बनित कोल्ड स्टोरेज का विवरण:-

क्र०सं	कोल्ड स्टोरेज का नाम व परा की वर्ष	कोल्ड स्टोरेज की वर्षता वर्ष में	कोल्ड स्टोरेज को निवेशात्मक उद्यान एवं समता घन मीटर में	कोल्ड स्टोरेज को निवेशात्मक उद्यान एवं समता घन मीटर में	कोल्ड स्टोरेज को सहायक निवेशक कारखाना, उत्पादन के द्वारा जारी लाइसेन्स का विवरण	कोल्ड स्टोरेज को सहायक निवेशक कारखाना, उत्पादन के द्वारा जारी लाइसेन्स का विवरण	कोल्ड स्टोरेज को मुख्य अनिवार्य की विकारी, उत्पादन के द्वारा जारी अनावृति प्रमाण-पत्र का विवरण	कोल्ड स्टोरेज को प्रदूषण नियन्त्रण वाले द्वारा जारी सहमति (जल/वायु) का नियन्त्रण	टिक्की
१	प० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज ग्राम- गोविन्दपुर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हथरस।	11.06.2018	16718.83	AG-08-18-0360/CSA- 166	कोल्ड स्टोरेज	पूर्णपौर्णपूर्ण/ 2022/ 44729 / एचटीआर०/हथरस / 170 / सीएफओ०	एस कार्यालय के पत्र संख्या-150073 एवं 150069 से दिनांक 31.03.2025 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	एस कार्यालय के पत्र संख्या-150073 एवं 150069 से दिनांक 31.03.2023 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	-
२	प० विसावर शीतगुड प्र०लिंग ग्रा० व पोर्ट विसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हथरस	30.11.2012	19806.66	AG-08-12-0316/CSA- 102	कोल्ड स्टोरेज	सीएफओ०-ह०० / कोल्ड आज्ञा-२४/ २०२१	एस कार्यालय के पत्र संख्या-149160 एवं 147824 दिनांक 20.01.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	एस कार्यालय के पत्र संख्या-149160 एवं 147824 दिनांक 20.01.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	-
३	प० श्री रघु-रघु कोल्ड स्टोरेज ग्रा०-नोविन्दपुर गो०- तहसील-सादाबाद, जनपद-हथरस	04.06.2018	16936.29	AG-08-18-0359/CSA- 145	कोल्ड स्टोरेज	सीएफओ०-ह०० / कोल्ड आज्ञा-१३८/ २०२१	एस कार्यालय के पत्र संख्या-158352 दिनांक 06.07. 2022 के माध्यम से दिनांक 31. 03.2026 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	एस कार्यालय के पत्र संख्या-158352 दिनांक 06.07. 2022 के माध्यम से दिनांक 31. 03.2026 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	-
४	प० आर०प०ल० शीतगुड ग्रा०- रोड, तहसील च जनपद-हथरस	09.08.2018	16920.03	AG-08-18-0367/CSA- 153	फॉल्ड स्टोरेज	2018 / 47562 /एचटीएस / हथरस / 244 / डी०८०१०	एस कार्यालय के पत्र संख्या-153172 दिनांक 02.04. 2022 के माध्यम से दिनांक 31. 03.2026 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	एस कार्यालय के पत्र संख्या-153172 दिनांक 02.04. 2022 के माध्यम से दिनांक 31. 03.2026 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।	-
५	प० बोरप० कोल्ड स्टोरेज ग्रा०- चिरावली गो०-ग०- तहसील-सादाबाद, जनपद-हथरस	22.06.2018	16499.83	AG-08-18-0361/CSA- 147	कोल्ड स्टोरेज	2017 / 34069 / एचटीएस / हथरस / १५५ / डी०८०१०	एस कार्यालय के पत्र संख्या-150020 एवं 150019 दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक	एस कार्यालय के पत्र संख्या-150020 एवं 150019 दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक	-

८० गो पालिया कोल्ड स्टोरेज सादाबाद जलेसर रोड सहपुक्त तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस	01.05.2017	16822.74	AG-07-17-355/CSA-141	कोल्ड स्टोरेज	सीएमटीआर-हॉट / कोल्ड आव्हा / 2022 / 70	एस कार्यालय के पत्र संख्या- 150162 एवं 150069 दिनांक 11.03.2022 के नाममें दो विभाग ३१.03.2025 तक
९० एसटीआरल० कोल्ड स्टोरेज प्राप्ति, प्रकाश नगर जलेसर रोड , मानिकपुर तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस	03.08.2018	16731.6	AG-08-18-0366/CSA-152	कोल्ड स्टोरेज	2018 / 47380 / उत्तराखण्ड / 242 / ५००० / ७८३	इस कार्यालय से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं हो। कोल्ड स्टोरेज को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.12.2022 के नाममें नोटि प्रोप्रियत किया गया है।
१००एसटीआरल० कोल्ड स्टोरेज प्राप्ति, मानिकपुर तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस	26.05.2016	37925.2	AG-08-16-0346/CSA-132	कोल्ड स्टोरेज	सीएफओ-हॉट / कोल्ड आव्हा-९७ / 2021	एस कार्यालय के पत्र संख्या-155798 दिनांक 04.05.2022 के नाममें से दिनांक 31.03.2026 तक सहमति (जल/वायु) जारी की गयी है।
१०२ बेट्टी, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस	29.04.2011	20505.2	AG-08-11-302/CSA-88	कोल्ड स्टोरेज	बन्द है।	कोल्ड स्टोर बन्द है। कोल्ड स्टोरेज बन्द

नोट:- १. कोल्ड स्टोरेज की उत्पादन क्षमता की जगह भण्डारण क्षमता होती है।

२. कोल्ड स्टोरेर को लाइसेन्स निवेदशालय उद्यान एवं खात्र प्रांस्करण विभाग हाथ जारी होता है।

हस्ताक्षर:-
नाम :- (अनीता शह)

पदनाम :- जिला उद्यान अधिकारी

कार्यालय का नाम - कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी

कार्यालय की गोह निला उद्यान नामी हाथरस

मध्यम

Inspection report of the Cold Storage mentioned in the order of Hon'ble NGT passed in O.A. No.728/2022 Narayan Sharma Vs. State of U.P. & Ors. dt. 23.11.2022.

Annexure- III

Sl. No.	Name & Address of Cold Storage	Inspection date & representative of the unit	Establishment in year	Capacity of Cold Storage (Cubic meter)	Details of consent of cold storage (W/A)	Details of the license of the District Horticulture Department, Hathras	Details of the license/registration of fire department of cold storage	Details of facilities details for leakage of Ammonia Gas in Cold Storage	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	M/s HRT Cold Storage, Vill. Govindpur, Mai-Khandoli Road, Talsil Sadabat, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Rajendra Singh, Partner	11.06.2018 16718.83	Consent granted vide letter no. 150073 & 1500659 dt. 11.03.2022 upto 31.03.2025	AG-08-18-9THVR/Hathras/170/CEO	UPPCSA/2022/4472	250 & 15 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, Safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 to submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.	
2	M/s Bisawar Sheetgrah Pvt. Ltd., Vill. & Post Bisawar, Talsil Sadabat, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Girendra Chaudhary, Director	30.11.2012 96678.27	Consent granted vide letter no. 174610 dt. 23.01.2022 upto 31.03.2027	AG-08-12-0316/CSA-102	CTO/Ha/Cold Akhya-24/2021	250 & 15 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, Safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record cold storage submitted the On site desaster management plan in UPPCB office.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 to submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given regarding consent conditions yet by the unit.	
3	M/s Shri Radhe Radhe Cold Storage, Vill. Govindpur, Manza Kanjoli, Mai Road, Talsil Sadabat, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Punit, Manager	04.06.2018 02.04.2022 upto 31.03.2025	Consent granted vide letter no. 153172 dt. 0359/CSA-145	AG-08-18-0359/CSA-145	CFOHa/Cold Akhya-138/2021	250 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, Safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.	

(3)
T.I - G.O.F.C.W.P.

	M/s RPM Sheetgrah, Vill. Rohai, Tahsil & Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Avin Sharma, Director	09.08.2018 16920.03 06.07.2022 upto 31.03.2026	Consent granted vide letter no. 158352 dt. 06.07.2022 upto 31.03.2026	AG-08-18-0357/CSA-153	201847552/HTS/Hathras/244/D. D.	250 & 25 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.
5	M/s O.S. Cold Storage, Vill. Chirawali, Post Mai, Tahsil Sadababd, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Manoj, Manager	22.06.2018 16499.83 dt. 09.03.2022 upto 31.03.2023	Consent granted vide letter no. 150020 & 150019 AG-08-18-0361/CSA-147	2017/34089/HTS/Hathras/185/D. D.	250 & 35 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.	
6	M/s Ms Pitambara Cold Storage, Vill. Sahpur, Sadababd-Jalesar Road, Tahsil Sadababd, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Anil Kumar, Partner	01.05.2017 16822.74 dt. 11.03.2022 upto 31.03.2025	Consent granted vide letter no. 150162 & 150089 AG-07-17-0355/CSA-141	CFO-HaCold Akhyu/2022/70	250 & 25 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.	
7	M/s S.B.I. Cold Storage Pvt. Ltd, Prakash Nagar, Jalesar Road, Manikpur, Tahsil Sadababd, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Shailendra Kumar, Director	03.08.2018 16731.6 (Air/Water) to the Board. Letter dt. 16.12.2022 issued to the cold storage	As per office record cold Storage not obtained the consent (Air/Water) to the Board. Letter dt. 16.12.2022 issued to the cold storage	AG-08-18-0366/CSA-152 D.D./783	201847380/HTS/Hathras/242/ D.D./783	250 & 25 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions, but no reply has been given yet by the unit.

	M/s S.D.N.K. Ice & cold Storage Pvt. Ltd, Vill. Sahpan, Tahsil Sadabat, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Raj Kumar, Director	26.05.2016 37925.2	Consent granted vide letter no.- 155798 dt. 04.05.2022 upto 31.03.2026	AG-08-16-0346CSA-132	CFO-HaCold Akhya-97/2021	250 KVA	At the time of inspection water sprinkler system installed at ammonia gas pipes line but no safety measures/facilities like, Safety mask/safety shoes/ safety helmet/safety glass etc. As per office record no on site desaster management plan submitted yet.	UPPCB, Aligarh has issued a letter to the cold storage on dt. 19.12.2022 for submit the action plan regarding leakage of Ammonia gas & compliance report of the consent conditions. Unit has submitted the reply of the letter dt. 19.12.2022, which is not satisfied.
9	M/s Jain Sheegrah Pvt. Ltd., Vill. Bedi, Tahsil Sadabat, Distt. Hathras	18.01.2023 Sri Raj Kumar, Director	29.04.2011	As per office record cold Storage not obtained the consent (Air/Water) to the Board. Letter dt. 16.12.2022 issued to the cold storage	AG-08-11-302CSA-88	Closed	Closed	Closed, Notice issued vide letter no.2294 dt. 16.12.2022 & other letter dt. 19.12.2022.	

क्र०	कोल्ड स्टोरेज का नाम व पता
1	मै0 बिसावर शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट-बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
2	मै0 एच०आर०टी० कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
3	मै0 श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, सादाबाद, जनपद-हाथरस।
4	मै. आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस।
5	मै0 ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
6	मै0 मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, सादाबाद, जलेसर रोड, सहपऊ, जनपद-हाथरस।
7	मै0 एस.बी.एल.कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि., प्रकाश नगर, मानिकपुर, जलेसर रोड, जनपद-हाथरस।
8	मै0 एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम-सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद हाथरस।
9	मै0 जैन शीतगृह प्रा.लि. ग्राम-बैदई तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।

क्र०	कोल्ड स्टोरेज का नाम व पता
1	मै० बिसावर शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट-बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
2	मै० एच०आर०टी० कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
3	मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, सादाबाद, जनपद-हाथरस।
4	मै. आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस।
5	मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्रम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।
6	मै० मॉ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, सादाबाद, जलेसर रोड, सहपऊ, जनपद-हाथरस।
7	मै० एस.बी.एल.कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि., प्रकाश नगर, मानिकपुर, जलेसर रोड, जनपद-हाथरस।
8	मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम-सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद हाथरस।
9	मै० जैन शीतगृह प्रा.लि. ग्राम-वैदई तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

संलग्नक-IV

पत्रांक 2309/HB-56/22

दिनांक 19.12.22

सेवा में,

पंजीकृत

मै ० बिसावर शीतगृह प्रांलि०,
 ग्राम व पोस्ट-बिसावर, तहसील-सादाबाद,
 जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-149160 एवं 147824 दिनांक 20.01.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक जारी की गयी सशर्त सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ जैफ़ॉल सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ संदर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2307 / HR-72/22

दिनांक 19/12/22

सेवा में

पंजीकृत

मै ० आर.पी.एम. शीतगृह-३०७ फ्लैट ०

ग्राम-रोहई।

तहसील व जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-158352 दिनांक 06.07.2022 के साथ्यम से दिनांक 31.03.2026 तक जारी की गयी सर्वान्वयन सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम बिन्दुवार अनुपालन आव्याय अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आव्याय कलर फोटोग्राफ एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अनोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आव्याय प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ जे०प० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्ता-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उपर्योगशाला
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
 REGIONAL OFFICE & LABORATORY
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2293 / HS-191/22

दिनांक 16/04/2022

सेवा में

पंजीकृत

मैं ०१० एस.बी.एल. कोल्ड स्टोरेज प्रॉफिलिंग,
 प्रकाश नगर, जलेसर रोड, मानिकपुर, तहसील-सादाबाद,
 जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके कोल्ड स्टोरेज को इस कार्यालय से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-153200 दिनांक 06.04.2022 के माध्यम से आपका सहमति (जल/वायु) आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना कोल्ड स्टोरेज का संचालन न किया जायें। अन्यथा की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड स्टोरेज के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

(डॉ. जितेंद्र सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्ता-4), उपर्योग नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ समझ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय पुर्व प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2308/H M -51/22

दिनांक 19.12.22

पंजीकृत

सेवा में

मैं ० में पिलाम्बरा कोल्ड स्टोरेज,
सादाबाद-जलेसर रोड, सहपऊ,
तहसील-सादाबाद, जनपद-हथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-150162 एवं 150089 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2025 तक जारी की गयी सशर्त सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम विन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ ज०पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृल्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेशशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2310 | HS-168 | 22

दिनांक 19.12.22

पंजीकृत

२०

मैं० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, तहसील-सावाबाद,
जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

४८५

महादेव, उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-153172 दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2025 तक जारी की गयी सशर्त सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति तक निहित शर्तों की नवीनतम बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकर्षिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

महाराष्ट्र
राज्य विद्यालय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उम्प्रो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ साक्षर प्रेषित।

क्षेत्रीय आषाढ़ कार्यालय (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण शाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2306/H.S-150/22

दिनांक 19.12.22

सेवा में

पंजीकृत

मै ० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रॉफिलो,
ग्राम—सहपुर, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम—1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम—1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या—155798 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2026 तक जारी की गयी सशर्त सहमति (जल / वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति (जल / वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल / वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्ष्यों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

महारौप्य

(डॉ जैर्यों सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (बृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ समर्पित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

म.म.



क्षेत्रीय कार्यालय उवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़.
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2311/HH-5/22

दिनांक 19.12.22

सेवा में,

पंजीकृत

मै ० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-150073 एवं 150069 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2025 तक जारी की गयी सर्त सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप द्वारा अभी तक सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम बिन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्षों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीप

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय पुर्व प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 23/2/40-5/22

दिनांक 19.12.22

सेवा में

पंजीकृत

मै0 ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-150020 एवं 150019 दिनांक 09.03.2022 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक जारी की गयी सशर्त सहमति (जल/वायु) आदेशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप हासा अभी तक सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की नवीनतम विन्दुवार अनुपालन आख्या अभी तक इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या कलर फोटोग्राफ एवं साक्षणों सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। कृपया नोट करें कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने एवं उद्योग के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग एवं उद्योग के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ. जयंती सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि— मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

13/12/22



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
 REGIONAL OFFICE & LABORATORY
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

सल्लनच-IV

पत्रांक 22941 मा-21/22

दिनांक 16/12/2021

सेवा में

पंजीकृत

मैं ०५० जैन शीतगृह प्राप्ति०,
 ग्राम-बेदई तहसील-सादाबाद,
 जनपद-हाथरस।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय अभिलेखानुसार आपके कोल्ड स्टोरेज को इस कार्यालय से सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1540 दिनांक 18.12.2021 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका कोई प्रतिउत्तर आप द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना कोल्ड स्टोरेज का संचालन न किया जायें। अन्यथा की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज के किसी भी आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न पाये जाने की दशा में आपके कोल्ड स्टोरेज के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड स्टोरेज के पदाधिकारियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

(डॉ ज०पी० सिंह)


क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सात्र प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

1

क्र०	कोल्ड स्टोरेज का नाम व पता
1	मै० विसावर शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम व पोस्ट-विसावर, तहसील-सादबाद, जनपद-हाथरस।
2	मै० एच०आर०टी० कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, तहसील-सादबाद, जनपद-हाथरस।
3	मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, सादबाद, जनपद-हाथरस।
4	मै. आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस।
5	मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्रम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादबाद, जनपद-हाथरस।
6	मै० माँ पीताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, सादबाद, जलेसर रोड, सहपऊ, जनपद-हाथरस।
7	मै० एस.बी.एल.कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि., प्रकाश नगर, मानिकपुर, जलेसर रोड, जनपद-हाथरस।
8	मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम-सहपऊ, तहसील-सादबाद, जनपद हाथरस।
9	मै० जैन शीतगृह प्रा.लि. ग्राम-बैदई तहसील-सादबाद, जनपद-हाथरस।



क्षेत्रीय कायलिय उन्वं प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

સુધીનાના

पत्रांक १५५९। नं B-४८/२०२३

खंडवा में

मैं विसावर शीतगृह प्रालि,
ग्राम व पोस्ट विसावर, तहसील—सादाबाद
जनपद—हाथरस।

दिनांक २५०१.२३

ਪੰਜਾਕੁਰ

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सम्मति वाय आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३०५० सख्ता— 728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अगोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैण्डग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरुप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अगोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने बिसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मै0 बिसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक:147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जारी सशर्त सशर्त सहमति जल / वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरेपित करा दी जाये।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै0 बिसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा –31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै0 बिसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकल असर नहीं पड़ेगा।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं अधिगम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

(डॉ रमेश सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश शाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2560/H.R-72/9023

दिनांक 05.01.23

सेवा में,

मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि.
 ग्राम-रोहई
 तहसील व जनपद-हाथरस।

पंजीकृत

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 158352/Uppcb/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 06.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००५० संख्या- 728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 158352/Uppcb/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 06.07.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेपटी मास्क, हेलमेट, हैण्डलब्स, चश्मा, सेपटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की लैंचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जाकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त विषय के अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 158352/Uppcb/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 06.07.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में रातोंपाजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम-रोहई, तहसील व जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीप

(डॉ० ज०पी० सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कायलिय उन्वं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक ८५६। Hm-५। १०२३

दिनांक 25-01-23

二〇四

मैं ० मो पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज,
७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड,
तहसील-सादाबाद जनपद-हाथरस।

पंजीकरण

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०१० संख्या- 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैण्डग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अमिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा औनराइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल / वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्गित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वां कि०मी०, सहपऊ, जलेसर रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-२१(४) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मैं माँ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वां किलोमीटर, सहपठ, जलेसर रोड, तहसील-सादाधाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जारी सर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए वन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं ०८ मॉ पिटाम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वां किलोमीटर, सहपञ्च, जलेसर रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा -३१ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग में ००० मौ प्रिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७८० कि०मी०, सहपाल, जलेसर रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ जेपी सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(पु.)

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

8-En-0571-27

प्रतिलिपि—निमलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
 2 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उत्तरप्रदेश नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 8567/1-15-91/2023

दिनांक 25.01.23

सेवा मे.

पंजीकृत

मै.0. एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०,
प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपऊ.
तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 153200/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/HATHRAS/2022 दिनांक 06.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कोल्ड स्टोरेज का सहमति (जल / वायु) आवेदन अस्वीकृत किया गया है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० (जल / वायु) आवेदन अस्वीकृत किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफटी मारक, हेलमेट, हैण्डग्लब्स, चश्मा, सेफटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार गैस से सुरक्षा हेतु सेफटी मारक, हेलमेट, हैण्डग्लब्स, चश्मा, सेफटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय क्षमता अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किये जाने की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी किये जाने की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल / वायु) प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त विषय के विरुद्ध वर्णित तथ्यों को वृष्टिगत रखते हुए मै.0 एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मै.0 एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै.0 एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा -31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यादिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि करा दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै.0 एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही / दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ. जैपी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेशशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 8565/H.J.-21/2023

दिनांक 25/01/23

सेवा में

पंजीकृत

मैं ० जैन शीतगृह प्राप्ति०,
 ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद,
 जनपद—हाथरस।

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 771/H.J.-21/13 दिनांक 17.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कोल्ड स्टोरेज का साहमति (जल / वायु) आवेदन अस्वीकृत किया गया है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मात्र एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या— 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडगलब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा साहमति (जल / वायु) प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं ० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

१. यह कि यहों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं ० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण १५ कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिमोदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मैं ० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्पक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

महोदय,

(डॉ० जैनी० सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

१. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
२. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक २५६५/४०-१/२०२३

सेवा मे

मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस।

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सहमति सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०० संख्या- 728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मार्क, हेलमेट, हैंडग्रलब्स, चम्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा औनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस, के विलुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना रपष्टीकरण 15 कार्यालय के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में जिमेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० ओ.एस. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस, के विलुद्ध बल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवद्वीप

(डॉ० जै०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक ५६४/८४-७/२०२३

दिनांक १५.०१.२३

सेवा मे.

मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

पंजीकृत

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-२१ के अन्तर्गत निर्गत महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००० सख्ता— 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा औनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वार्षित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-२१(४) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/ Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथासंशोधित) की धारा-३१ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण १५ कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीर्घ
(डॉ. ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-४), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उच्च प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक १५६३/प्र०/१०/२०२३

सेवा में

मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०,
ग्राम—सहपऊ, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००० संख्या— 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मार्क, हेलमेट, हैंडग्रलब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में ग्रात नहीं हुई है, जोकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम—सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम—सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा जारी सशर्त सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम—सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि करा दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, ग्राम—सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनामक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

महोदय

(डॉ० ज०प०० सिह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय उचं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक १५६२/८५-१६४/१०२३
 सेवा मे.....

दिनांक १५.०१.२३
 पंजीकृत

मे० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज,
 ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, मई रोड,
 तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध मे०।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे० इस कार्यालय के पत्रांक 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को ना० एन०जी०टी०, नई दिल्ली मे० योजित ३०००० सख्ता-728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य मे० पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन मे० गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज मे० अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेप्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेप्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड भानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश मे० निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय मे० प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सशर्त सहमति जल/वायु मे० अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मे० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मे० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
 2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मे० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।
- उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि मे० सतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा मे० उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मे० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जौली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

महोदय
 (डॉ० ज०पी० सिंह)
 क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1567/H5-91/2023

पत्रांक 889/H5-91/2023

सेवा में

मैं ० एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि,
प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपक,
तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस।

प्राप्ति १३-२-२३

पंजीकृत

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 153200/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/HATHRAS/2022 दिनांक 06.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कोल्ड स्टोरेज का सहमति (जल/वायु) आवेदन अस्वीकृत किया गया है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००५० संख्या— 728 / 2022 नारायण शर्म बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेपटी मास्क, हेलमेट, हैप्पलगलब्स, घश्मा, सेपटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अधिकारी ने कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किये जाने की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपक, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपक, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपक, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० एस.बी.एल., कोल्ड स्टोरेज प्राइलि, प्रकाश नगर, मानिक, जलेसर रोड, सहपक, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनालक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिगम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्ति—4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पात्र/ए०

०७-२-२३



क्षेत्रीय कार्यालय पुवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 8565/HJ-21/2023

889/2 दिनांक 05.01.23

03.2.23

पंजीकृत

सेवा में

मैं ० जैन शीतगृह प्राप्ति०,
ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 771/H.J.-21/13 दिनांक 17.06.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके कोल्ड स्टोरेज का सहमति (जल/वायु) आवेदन अस्वीकृत किया गया है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित औ०ए० संख्या— 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुख्खा हेतु सेफ्टी मार्क, हेलमेट, हैंडग्रलब्रू, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त वर्धित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही ग्राम करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मैं० जैन शीतगृह प्राप्ति०, ग्राम—बैदई, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

889/2
03.2.23



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक ५६५/४०-०५/२३

सेवा में,

मै० ओ.एस. कॉल्ड स्टोरेज,
ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस।

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक वैध है। यह कि प्रश्नभत कॉल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००० संख्या- 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गतित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कॉल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कॉल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट जिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० ओ.एस. कॉल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ गोटिए जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मै० ओ.एस. कॉल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150019/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 09.03.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० ओ.एस. कॉल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस, के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा -31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रमाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० ओ.एस. कॉल्ड स्टोरेज, ग्राम-चिरावली, पोस्ट-मई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस, के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिगम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
 2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (तृतीय-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

५६५/४०-०५/२३
०३.२.२३

कार्यालय पता : जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 iPhone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय पुर्व प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक १५५९/४०-५६/२०२३

दिनांक १५-०१-२३

सेवा में,

मै० विसावर शीतगृह प्रा.लि.,
ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस।

884/२ पंजीकृत

०३-२-२३

6WJ

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या- 728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र०० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूजू आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। जौकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० विसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मै० विसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 147824/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० विसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० विसावर शीतगृह प्रा.लि., ग्राम व पोस्ट बिसावर, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

Area/सेट
07-2-23

EE
15/०१/२३

मवदीय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र०० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय पुर्व प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक १५६।/HM-५।/२०८३

दिनांक ४५.०१.२३

सेवा में

मै० मॉ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज,
७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड,
तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस।

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा०.एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००५० संख्या—728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुख्खा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० मॉ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

- यह कि क्यों न मै० मॉ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150089/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/Air/HATHRAS/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
- यह कि क्यों न साक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० मॉ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा -31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० मॉ पिताम्बरा कोल्ड स्टोरेज, ७वा किमी०, सहपऊ, जलेसर रोड, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही / दण्डनाल्मक कार्यवाही पर कोइ प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

EE
पत्रांक
८५६।/५।/२३
My 07/02/23

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम अवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भवदीय

(डॉ० जी०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेशशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

RP

पत्रांक 9560/HR-73/2023

दिनांक 05.01.23

सेवा में,

8854 पंजीकृत

मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि.,
ग्राम—रोहई,
तहसील व जनपद—हाथरस।

प्राप्ति: 03-2-23
दिनांक: 05.01.23
प्राप्ति द्वारा दिनांक:

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—21 के अन्तर्गत निर्गत सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 158352/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 06.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का काट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा साशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ०५० संख्या— 728 / 2022 नारायण शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 158352/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 06.07.2022 द्वारा निर्गत साशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेपटी मारक, हेलमेट, हैंडग्लब्ड, चश्मा, रोफटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉस्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि साशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम—रोहई, तहसील व जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण दत्ताओं नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम—रोहई, तहसील व जनपद—हाथरस को इस कार्यालय साशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम—रोहई, तहसील व जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि करा दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मैं 0 आर.पी.एम. शीतगृह प्रा.लि., ग्राम—रोहई, तहसील व जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्मक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

EE
Fy 07/02/23

भवदीय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

K
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

- प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अप्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
 2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।



क्षेत्रीय कार्यालय पुर्व प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2562/HG-168/2023
सेवा में,

8244 दिनांक 05.01.23
प्राप्ति: 03-2-23 पंजीकृत
WJ

मैं ० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, मई रोड,
तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस।

विषय- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००० संख्या- ७२८/२०२२ नारायण शर्मा बनाम ल०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मार्क, हेलमेट, हैण्डग्रालब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किया जाता हुआ नहीं पाया तथा डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है-

1. यह कि क्यों न मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 153172/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/both/Hathras/2022 दिनांक 02.04.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सकम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विमागीय अनापत्ति/लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० श्री राधे-राधे कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-गोविन्दपुर, मौजा-कन्जीली, मई रोड, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध बल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनाल्पति कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

EE
Att 07/01/23

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्ता-4), ल०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भवदीय
(डॉ जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय उच्च प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़,
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक १५६३/Hs-१८०/२०२३

पत्रांक २५०१-२३

सेवा में

मैं० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०,
ग्राम—सहपक्क, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस।

प्राप्ति नं० ०३-२-२३

पंजीकृत

प्राप्ति नं० ८८६६

प्राप्ति नं० ८८६६

प्राप्ति नं० ८८६६

प्राप्ति नं० ८८६६

विषय—वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सशर्त सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मै० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ओ००० संख्या— 728/2022 नारायण शर्मा बनाम उ००० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल/वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्रब्लस्ट, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा ऑनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट लान प्रेषित नहीं किया गया है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल/वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अगी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सशर्त सहमति जल/वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, ग्राम—सहपक्क, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, ग्राम—सहपक्क, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 155798/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/Hathras/2022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति जल/वायु को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से आपेक्षा की जाये कि मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, ग्राम—सहपक्क, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा—31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त विन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यादिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० एस.डी.एन.के. आईस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइलि०, ग्राम—सहपक्क, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही/दण्डनामक कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अधिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (बुल्ल-4)/उ००० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

EE
१५६६/८८६६
०३-२-२३

कार्यालय पता : जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़-202001 | Phone & Fax : 0571 2743521
Office Address : J-1, Gyan Sarover Colony, Ramghat Road, Aligarh -202001 E-mail : roaligarh@uppcb.in



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

४४

पत्रांक ०५६४/ HH-१/२०२३

८७५ दिनांक ०५.०१.२३

सेवा में

पंजीकृत

०३-२-२३

८७५

मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज,
 ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद,
 जनपद—हाथरस।

विषय— वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत सहमति वायु आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।
 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Allgarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको को इस कार्यालय द्वारा सशर्त सहमति वायु निर्गत की गयी है, जो कि दिनांक 31.03.2025 तक वैध है। यह कि प्रश्नगत कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण दिनांक 18.01.2023 को मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित ३००० संख्या—728 / 2022 नारायण शर्म बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में गठित समिति द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Allgarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति वायु की शर्तों का अनुपालन आप द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैण्डग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। कार्यालय अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा पाया तथा ढी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.12.2022 के द्वारा सहमति (जल / वायु) आदेश में निहित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने एवं अमोनिया गैस के रिसाव को रोकने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है, जोकि सहमति वायु में अधिरोपित सहमति शर्तों का उल्लंघन दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-21(4) के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है—

1. यह कि क्यों न मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस को इस कार्यालय के पत्रांक: 150069/UPPCB/Allgarh(UPPCBRO)/CTO/Air/Hathras/2022 दिनांक 11.03.2022 द्वारा जारी सशर्त सहमति (वायु) को निरस्त करते हुए बन्दी की कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करा दी जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित करने एवं अन्य विभागीय अनापत्ति / लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जाये।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 कार्यदिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा। इस पत्र का उद्योग मै० एच.आर.टी. कोल्ड स्टोरेज, ग्राम—गोविन्दपुर, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस के विरुद्ध चल रही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा।

८७५

०३-२-२३

मवदीय

(डॉ० ज०पी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस।

✓ 2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

Environmental Compensation imposed against 07 Cold Storage Status

Sl.No.	Cold Storage Name & Address	EC imposed (Rs.)
1	M/s S.D.N.K. Ice & Cold Storage Pvt. Ltd., Village-Sahpau, Sadabad, District-Hathras	125000
2	M/s O.S. Cold Storage, Village-Chirawali, Post-May, District-Hathras	125000
3	M/s Maa Pitambara Cold Storage, 9 K.M., Sahpau, Jalesar Road, Sadabad, District-Hathras	125000
4	M/s R.P.M. Sheetgrah Pvt. Ltd., Village-Rohayi, Tehsil & District-Hathras	125000
5	M/s Shree Radhe-Radhe Cold Storage, Village-Govindpur, Kanjauli, May Road, Sadabad District-Hathras	125000
6	M/s Bisawar Sheetgrah Pvt. Ltd., Village & Post-Bisawar, Sadabad, District-Hathras	125000
7	M/s M.R.T. Cold Storage, Village-Govindpur, Sadabad, District-Hathras	125000
TOTAL -		875000

11.2.23
BB



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.
Ref. No.

नं ४११५३ / सी-४/रम-ट-४५५/२०२३

दिनांक
Date १५.०२.२०२३

पंजीकृत

सेवा में,

मै० एस०बी०एल० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०,
जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील—सादाबाद,
जनपद—हाथरस

यह कि मै० एस०बी०एल० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कोल्ड स्टोरेज के रूप में उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०८० सं०-७२८/२०२२ नारायन शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः—

“.....6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. In case the Joint Committee observes any violation of environmental laws/ norms, then it shall forward a copy of its report to:-

- (i) the concerned persons to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF; and
- (ii) the concerned Statutory Authorities including the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned persons and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 16.02.2023.....”

यह कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मै० एस०बी०एल० कोल्ड स्टोरेज प्रा०लि०, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील—सादाबाद, जनपद—हाथरस का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा गठित संयुक्त समिति के माध्यम से दिनांक 18.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेपटी मास्क, हेलमेट, हैण्डगरब्स, चश्मा, सेपटी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा आनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। डी०जी० सेटों हेतु एल०पी०जी० का प्रयोग किये जाने की व्यवस्था नहीं पायी गयी। डी०जी० सेटों पर एकजॉर्स्ट पाइप की ऊँचाई बोर्ड मानकों

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

लखनऊ - 226 010

Lucknow - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

Phone : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

Fax : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

E-mail : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

Website : www.uppcb.com

के अनुरूप नहीं पायी गयी। इकाई बोर्ड से सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 19.12.2022 द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने हेतु कॉल्ड स्टोरेज को निर्देशित किया गया था।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या-2893/एचएस-191/23, दिनांक 11.02.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश 23.11.2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा की गयी संस्तुति के वृटिंग मै0 एस0बी0एल0 कॉल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 एस0बी0एल0 कॉल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 एस0बी0एल0 कॉल्ड स्टोरेज प्रा0लि0, जलेसर रोड, सहपऊ, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए अन्य सुविधाओं को बन्द कर दें।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारण का प्रकरण राज्य बोर्ड में विचाराधीन है तथा निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग को अवगत कराये जाने की तिथि से विलम्बतम 15 दिन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शिमोती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0-701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Hulisa yadav
प्रभारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, हाथरस को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग को बन्द करवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, हाथरस।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, हाथरस।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या एवं उद्योग के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी आंकलित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करें।

Hulisa yadav
प्रभारी, वृत्त-4

✓ ok



संदर्भ सं.
Ref. No १५४९१५०

/ सी-४/एन-४५/ 2023

विनांक
Date... ११-०२-२३

पंजीकृत

सेवा में,

मै० जैन शीतगृह प्रांलि०,
ग्राम-बैदई, तहसील-सादाबाद,
जनपद-हाथरस

यह कि मै० जैन शीतगृह प्रांलि०, ग्राम-बैदई, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कोल्ड स्टोरेज के रूप में उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-७२८/२०२२ नारायन शर्मा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः-

“.....6. In view of the averments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the sites, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponents, verify the factual position and submit its report within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. In case the Joint Committee observes any violation of environmental laws/ norms, then it shall forward a copy of its report to:-

- (i) the concerned persons to enable them to comply with the recommendations in the report of the Joint Committee or file objections against the observations/recommendations contained in the same within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF; and
- (ii) the concerned Statutory Authorities including the CPCB, the State PCB and the District Magistrate, Hathras to enable them to take appropriate remedial action, in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and for protection and improvement of environment, by giving notice to/hearing the concerned persons and following due process of law and they shall submit their action taken reports separately within one month from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

8. List for further consideration on 16.02.2023.....”

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

यह कि मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में मै० जैन शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम-बैदै०, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस का स्थलीय निरीक्षण जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा गठित संयुक्त समिति के माध्यम से दिनांक 18.01.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज बन्द पाया गया। कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस से सुरक्षा हेतु सेफ्टी मास्क, हेलमेट, हैंडग्लब्स, चश्मा, सेफ्टी शूज आदि की व्यवस्था नहीं पायी गयी। क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखानुसार कोल्ड स्टोरेज के द्वारा आनसाइट डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान प्रेषित नहीं किया गया है। निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-2565, दिनांक 25.01.2023 के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका कोल्ड स्टोरेज द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या-2894 / एचजे-21/23, दिनांक 11.02.2023 द्वारा प्रेषित आख्या में उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत निर्देश जारी किये जाते हैं।

अतः मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश 23.11.2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या के वृष्टिगत मै० जैन शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम-बैदै०, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै० जैन शीतगृह प्रा०लि०, ग्राम-बैदै०, तहसील-सादाबाद, जनपद-हाथरस का संचालन राज्य बोर्ड द्वारा सहमति (जल/वायु) प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atulendra yadav
प्रभारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, हाथरस।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

Atulendra yadav
प्रभारी, वृत्त-4
3/12/2023